छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर–492002

क्र. एफ 5–60/2024/सत्रह/एक   नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24 JUN 2024

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर सह जिला दण्डाधिकारी, छ.ग.
2. समस्त जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जिला पंचायत/जनपद पंचायत छ.ग.
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छ.ग.
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग.
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, छ.ग.
6. समस्त आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत परिषद, छ.ग.
7. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग, छ.ग.

विषयः– Stop Diarrhoea Campaign 2024 का आयोजन दिनांक 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक आयोजित किये जाने के संबंध में

संदर्भः–भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से प्राप्त D.O No. Z-28020/41/2018-CH दिनांक 12 जून 2024।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, 0–5 वर्ष के बच्चो में मृत्यु का एक मुख्य कारण डायरिया भी है, जिसका शीघ्र निदान एवं उपचार से शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सकती है। बच्चों में डायरिया से होने वाली मृत्यु की रोकथाम के उद्देश्य से Stop Diarrhoea Campaign 2024 का आयोजन राज्य में दिनांक 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक किया जाना है, जिसमें किये जाने वाली गतिविधियां निम्नानुसार है।

1. **Stop Diarrhoea Campaign 2024 उन्मुखीकरणः–**
   - समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक को कार्यक्रम के गतिविधियों की जानकारी व समन्वय हेतु निर्देश पत्र तथा बैठक के माध्यम से जानकारी प्रदान करें।
   - समस्त ए.एन.एम. व मितानिनों को डायरिया केस प्रबंधन, उपचार तथा काउंसलिंग पर प्रशिक्षण व अभियान के दौरान उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर निर्देश व प्रशिक्षण IDCF Toolkit अनुसार प्रदाय करें।

2. स्वास्थ्य केन्द्रो की टंकियों की सफाई अनिवार्यतः करायी जावे।

3. **दवा (ओ.आर.एस. व जिंक) उपलब्धता:**—अपनें जिले के लिये ओ.आर.एस. तथा जिंक टेबलेट का उठाव करते हुए संबंधित गतिविधियों के लियें दवा वितरण तालिका के अनुसार संबंधितों को प्रदान किया जावे।

4. **सूचना शिक्षा संचार की गतिविधियां:—**

- गांव/पंचायत स्तर पर ओ.आर.एस.—जिंक का दीवार लेखन किया जावे।
- जागरूकता पैदा करने के लिए संचार के विभिन्न साधनों का लोगो की आवश्यकता अनुसार स्थानीय भाषा में उपयोग किया जाये जैसे कि टेलीविजन, रेडियों, डिजिटल प्लेटफार्म (वाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर) का उपयोग अधिक से अधिक लोगो तक संदेश पहुंचाने में किया जावें।

5. संबंधित विभाग, डेवलपमेन्ट पार्टनर्स एवं निजी स्वास्थ्य संस्थाओं का सहयोग:—महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, स्थानीय प्रशासन, आजीविका मिशन एवं अन्य शासकीय विभागो के साथ कार्यरत डेवलपमेन्ट पार्टनर्स का गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग में सहयोग प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त निजी अस्पताल, प्राइवेट एजेंसी जैसे कि आई.ए.पी., आई.एम.ए. का भी पूर्ण सहयोग लिया जाये।

6. **सामान्य निर्देश :—**

- ANM एवं मितानिनो को प्रशिक्षित किया जावे।
- प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में हाथ धोने की विधि एवं ओ.आर.एस घोल तैयार करने के लिए कम से कम दो सत्रो का आयोजन।
- आस्था आधारित संगठनों के माध्यम से धार्मिक समारोहों और उत्सवों के दौरान डायरिया की रोकथाम के संदेशों को शामिल करने के लिए संगठित करना।
- सुरक्षित पेयजल और स्वच्छ शौचालयों के संदर्भ में स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ—सफाई का ध्यान रखना।
- मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवजात और बाल्यावस्था बीमारी के एकीकृत प्रबंधन (आईएमएनसीआई) दिशा—निर्देशों के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ), स्टाफ नर्स और एएनएम के लिए केस प्रबंधन परिदृश्यों का अभ्यास करने के लिए रोल—प्लेइंग अभ्यास और सिमुलेशन आयोजित करना।
- टीकाकरण के लिए छुटे हुए बच्चों की सूची बना कर टीकाकरण सुनिश्चित करना।
- ओपीडी वार्डों, पोषण पुनर्वास केंद्रों में डायरिया के लक्षणों के संबंध में परिवारों को शिक्षित करना एवं नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र/मितानिन को तुरंत रिपोर्ट करने की आवश्यकता और निवारक उपायों के बारे में अवगत कराना।
- हाथ धोने की उचित तकनीक, सुरक्षित जल भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं पर कार्यशालाओं का आयोजन करना।

- दस्त के उपचार और निवारक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए वंचित क्षेत्रों में विशेष टीमों का गठन करना।
- गंभीर दस्त के लक्षणों या जटिलताओं वाले बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों और आस–पास की स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच रेफरल तंत्र सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अभियान के मध्य में कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा करना।
- जल–जनित बिमारियों को ध्यान में रखते हुए घरों में तथा कुएं/जल स्त्रोतों की साफ–सफाई एवं संक्रमण को रोकने हेतु क्लोरीन टेबलेट्स वितरीत जावे।
- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रो जैसे ईटा भट्ठा, खाना बदोश स्थल, बाढ़ प्रवण क्षेत्र, उप–स्वास्थ्य केन्द्र जहां ANM उपलब्ध नही है, प्रवासी मजदूर, सड़क पर रहने वाले बच्चों, मलीन बस्ती इत्यादि जगहों पर अधिक ध्यान देवें एवं ओ.आर.एस. की पूर्व उपलब्धता सुनिश्चित करें।

7. डायरिया की रोकथाम एवं प्रबधन हेतु की जाने वाली गतिविधियां:–

समुदाय/ग्राम स्तर पर की जाने वाली गतिविधियां:–

मितानिन द्वारा की जाने वाली गतिविधियां:–

- मितानिन द्वारा सभी 05 वर्ष तक के बच्चो के घरो में 2 ओ.आर.एस. पैकेट एवं 14 जिंक की गोली रोगनिरोधी रणनीति के अंतर्गत डायरिया प्रबंधन हेतु वितरीत की जाये तथा इसके उपयोग एवं महत्वता के संबंध में जानकारी प्रदान करें। मितानिन के द्वारा ओ.आर.एस.घोल बनानें की विधि का प्रदर्शन किया जावे।
- मितानिन द्वारा सभी परिवार को स्वच्छता पर भी जानकारी दी जावेगी।
- मितानिन के द्वारा डायरिया प्रकरणों की पहचान, ए.एन.एम./स्वास्थ्य केन्द्रो पर संदर्भन एवं मां को खतरे के लक्षणों के बारे शिक्षा दी जावे।
- डायरिया से होने वाली मृत्यु की जानकारी मितानीन द्वारा ए.एन.एम. को दी जावे।

ए.एन.एम. द्वारा की जाने वाली गतिविधियां:–

- ए.एन.एम. द्वारा सभी काउंसलिंग सत्रों की जानकारी, ओ.आर.एस–जिंक की महत्ता, दस्त होने पर भी मां के दूध पिलाने की आवश्यकता, हांथ धोने की तथा शौंच हेतु टॉयलेट की उपयोग के बारें मे जानकारी दी जावे।
- मितानिन द्वारा की जाने वाली समस्त गतिविधियों का निरीक्षण ए.एन.एम. द्वारा किया जावे।
- एम.सी.पी. कार्ड के पृष्ठ क्र. 9 पर प्रदर्शित दस्त के दौरान किये जाने वाले सावधानी की जानकारी भी ए.एन.एम. द्वारा दी जावे।

ग्राम स्तर पर की जाने वाली गतिविधियां:-

- स्कूलो, आउटरीच सत्रों एवं वी.एच.एस.एन.डी. और आंगनबाड़ी केन्द्रो आदि में हांथ धोने की विधि का प्रदर्शन करना।
- ग्रामीण स्तर पर गृह भ्रमण के दौरान हांथ धोने की विधि का प्रदर्शन किया जावे।
- भोजन के पहले भी साबून तथा पानी से हांथ धोने हेतु प्रोत्साहित किया जावे।

शहरी क्षेत्रों मे की जाने वाली गतिविधियां:-

- शहरी क्षेत्रो की ए.एन.एम. तथा मितानिन भी ग्रामीण क्षेत्रों मे दर्शाये गये समस्त Stop Diarrhoea Campaign 2024 गतिविधियों का संचालन करेंगी।

स्वास्थ्य केन्द्रो में की जाने वाली गतिविधियां:- सभी स्वास्थ्य केन्द्रों/हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरो पर ओ.आर.एस.जिंक कार्नर की स्थापना तथा डायरिया प्रकरणो का उपचार किया जाना।

- स्वास्थ्य केन्द्रो के ओ.पी.डी. तथा आई.पी.डी. वार्ड में ओ.आर.एस.-जिंक कार्नर की स्थापना डायरिया केस की उपचार हेतु किया जावे। इसे अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास आसानी से ध्यान आकर्षित किये जाने वाले स्थल पर स्थापित किया जावे।
- स्वास्थ्य केन्द्रो में निर्जलीकृत (Dehydration) डायरिया प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण किया जावे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को Stop Diarrhoea Campaign 2024 की गतिविधियों में प्रशिक्षित किया जावे एवं इनके माध्यम से ANM एवं मितानिन के उन्मुखीकरण तथा मॉनिटरिंग हेतु निर्देशित किया जावे।
- ओ.आर.एस.-जिंक कार्नर स्थापित किये जाने हेतु IDCF Toolkit के निर्देशों का पालन किया जाना है।
- जिले के IAP/IMA से समन्वय कर सभी निजी चिकित्सालयों को भी ओ.आर.एस. जिंक-कार्नर स्थापित किये जाने हेतु सम्मिलित किया जावे।
- सभी संस्थाओं में ओ.आर.एस. तथा जिंक की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित की जावे।
- पोषण पुनर्वास केन्द्रो में अति गंभीर कुपोषित बच्चे, जिन्हें डायरिया हो उनका प्रबंधन सुनिश्चित किया जावे।
- गंभीर डायरिया के प्रकरणो के प्रबंधन की सुविधाएं IMNCI Plan C अनुसार उपलब्ध करायी जावे।
- Treatment Protocol की छपाई करवाकर आवश्यकतानुसार ओ.पी.डी. बच्चो के वार्ड इत्यादि स्थलों पर लगाया जावे।
- Stop Diarrhoea Campaign 2024 की गाइडलाईन तथा IDCF Algorithm के अुनसार संस्था स्तर पर निर्जलीकरण वाले डायरिया से ग्रसित बच्चों का प्रबंधन किया जावे।

उपरोक्तानुसार समस्त गतिविधियों के संचालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं कार्यक्रम के समापन के पश्चात Stop Diarrhoea Campaign 2024 रिपोर्ट संबंधित प्रपत्र में प्रविष्ट कर दिनांक 15 सितंबर 2024 तक राज्य कार्यालय के ई–मेल आई.डी. ddchildhealth.cg@gmail.com पर साझा करें।

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्र. एफ 5–60 / 2024 / सत्रह / एक

अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 24 JUN 2024

प्रतिलिपियां:–सूचनार्थ

1. विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
2. संचालक स्वास्थ्य सेवायें, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
3. संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
5. संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने एवं निर्देशित किये जाने हेतु सूचनार्थ।
6. संचालक, स्कूल शिक्षा, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
7. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
8. संचालक, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग, रायपुर छ.ग.।
9. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर छ.ग.।
10. संचालक, आयुष रायपुर, छ.ग.।
11. प्रबंध संचालक, CGMSC सेक्टर–27, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
12. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
13. संयुक्त संचालक, शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
14. कार्यकारी संचालक, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, रायपुर छ.ग.।
15. राज्य प्रतिनिधि, न्यूट्रीशन इन्टरनेशनल, रायपुर छ.ग.।
16. स्वास्थ्य विशेषज्ञ, यूनिसेफ, रायपुर, छ.ग.।
17. व्यवहार परिवर्तन, यूनिसेफ, रायपुर, छ.ग.।
18. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
19. निज सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत / स्कूल शिक्षा / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी / नगरीय प्रशासन एवं विकास / महिला एवं बाल विकास विभाग।
20. स्टॉक फाईल।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

साप्ताहिक गतिविधियाँ

प्रथम (मूलभूत तैयारियां) चरण
(14 जून – 30 जून 2024)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1. अंतर्विभागीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित करना।
2. समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में ORS, Zinc Tablet और IV fluids की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की line listing तैयार करना।
4. सूक्ष्म कार्ययोजना, प्रचार–प्रसार (IEC, BCC आदि) और Monitoring हेतु योजना तैयार करना।
5. Stop Diarrhoea Campaign 2024 अंतर्गत समस्त Stakeholders को प्रशिक्षित करना।
6. Stop Diarrhoea Campaign 2024 के चरणबद्ध संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करना।

महिला एवं बाल विकास विभाग

1. डायरिया प्रबंधन पर जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन करना।
2. पिछले 3–4 महीनों के दौरान डायरिया से प्रभावित 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों (आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत) की सूची तैयार करना।
3. आंगनवाड़ी में ओ.आर.टी. कॉर्नर के लिए ORS, Zinc Tablet के स्टॉक के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करना।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

1. आंगनबाड़ी केन्द्रों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक शौचालयों में स्वच्छ एवं क्रियाशील शौचालयों की उपलब्धता।
2. आंगनबाड़ी केन्द्रों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक शौचालयों में 24X7 जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा जल का परीक्षण करना।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

1. **विशेष स्वच्छता अभियान** – खुले में कूड़ा फेंकने से रोकने, कूड़ा–कचरा होने की संभावना वाले स्थानों को साफ करने, रुके हुए पानी को हटाने, नालों की सफाई, बाजारों, खाद्य विक्रय क्षेत्रों, शहरी झुग्गी–झोपड़ियों/अनौपचारिक बस्तियों आदि पर विशेष ध्यान देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत विशेष स्वच्छता अभियान चलाना।
2. **कचरे का संग्रहण एवं परिवहन** – प्रतिदिन कचरे के संग्रहण एवं परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना। भारी वर्षा की स्थिति में कचरे के संग्रहण एवं परिवहन की विशेष व्यवस्था करना।

3. **सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई** –शहरी झुग्गी–झोपड़ियों एवं अनौपचारिक बस्तियों में विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की सफाई एवं रखरखाव के लिए विशेष अभियान चलाना। पानी और हाथ धोने की सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. **बच्चों पर ध्यान दें** –सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, आवासीय और खेल छात्रावासों में स्वच्छ पेयजल के साथ–साथ स्वच्छ और क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। किसी भी प्रकार की आवश्यक मरम्मत और रखरखाव को तत्काल किया जावे।
5. **पानी की गुणवत्ता का आकलन**–पानी की गुणवत्ता परीक्षण के लिए पर्याप्त नमूने एकत्र करने की योजना बनाना।
6. **सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति और जल कार्यों का रखरखाव**–शहरी क्षेत्रों में बिना रुकावट स्वच्छ पानी की आपूर्ति, जल कार्यों की आवश्यक मरम्मत और रखरखाव जैसे–ओवरहेड वाटर टैंक की सफाई और रखरखाव।
7. **उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान**– डायरिया के प्रकोप, अन्य जल–जनित, वेक्टर–जनित रोगों के रोकथाम एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
8. **आई.ई.सी और घर–घर जागरूकता**–अन्य Stakeholders के साथ मिलकर आई.ई.सी और घर–घर जागरूकता अभियान जैसे– हाथ धोने, कूड़ा न फैलाने, साफ–सफाई आदि के लिए जानकारी देना।
9. **सुरक्षा, रोकथाम, उपचार (Protect, Prevent and Treat) रणनीति–** 14 जून से 30 जून 2024 तक प्रारंभिक चरण की तैयारी के लिए सफाई अभियान को तेज करने के हेतु सभी संसाधनों को सक्रिय करना और 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक डायरिया की रोकथाम के साथ–साथ वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए सुरक्षा, रोकथाम और उपचार रणनीति के सिद्धांतों पर सभी गतिविधियों को करना।
10. **समन्वय और निगरानी**– अंतर्विभागीय समन्वय कर मानसून पूर्व तैयारियों और मानसून के दौरान रोग प्रबंधन के लिए नियमित निगरानी एवं जहां आवश्यक हो वहां जुर्माना लगाना और तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही करना।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

1. स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित समन्वय बैठकों में भाग लेना।
2. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के आधार पर पिछले 1 वर्ष में डायरिया प्रकोप वाले उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना।
3. जिलों को दिशा–निर्देश जारी करना और Stop Diarrhoea Campaign 2024 हेतु उन्मुखीकरण बैठक आयोजित करना।

स्कूल शिक्षा

1. डायरिया की रोकथाम के लिए पानी की टंकियों की सफाई सुनिश्चित करना।
2. स्कूल आधारित गतिविधियों (क्विज / ड्राइंग प्रतियोगिता) और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा सत्रों का आयोजन करना।

द्वितीय चरण
सप्ताह 1 और 2 (1 जुलाई – 14 जुलाई 2024)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

1. जिला स्तर पर डायरिया अभियान का शुभारंभ।
2. माइक्रो–प्लान, प्रचार–प्रसार (IEC, BCC आदि) और Monitoring हेतु योजना तैयार करना।
3. उन्मुखीकरण कार्यशाला (ऑनलाइन / ऑफलाइन मोड) आयोजित करना।
4. मीडिया (समाचार पत्र, सोशल मीडिया, टीवी / रेडियो चौनल) के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना।
5. सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओआरएस / जिंक कॉर्नर की स्थापना।
6. मितानिन द्वारा घर–घर जाकर अभियान के दौरान 0–59 माह के समस्त शिशुओं को रोग निरोधी रणनीति के तहत 02 ओ.आर.एस. पैकेट और 14 जिंक की गोली का वितरण।
7. आउटडोर आईईसी अभियान (बस होर्डिंग्स, रोड पैनल आदि) ।
8. समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर हाथ धोने की प्रक्रिया और ओआरएस बनाने का प्रशिक्षण देना।
9. SMS Alert & Interractive Voice Response System के माध्यम से अभियान से संबंधित संदेशों को प्रसारित करने के लिए मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ समन्वय स्थापित करना।

महिला और बाल विकास विभाग

1. Stop Diarrhoea Campaign 2024 शुभारंभ कार्यक्रम पर जिला / ब्लॉक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का डायरिया के कारण होने वाले कुपोषण के जोखिम वाले बच्चों की पहचान करने के लिए निगरानी और पोषण संबंधी आकलन करने हेतु विशेष प्रशिक्षण आयोजित करना।
3. स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आंगनबाड़ी में ओ.आर.एस / जिंक कॉर्नर स्थापित करना।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

1. Stop Diarrhoea Campaign 2024 शुभारंभ कार्यक्रम पर जिला / ब्लॉक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. ग्रामीण स्तर पर स्थापित आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक केंद्रों में जल गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था करना।
3. जल प्रबंधन, स्वच्छता एवं सफाई पर स्थानीय समुदायों, संगठनों और सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

1. **शुभारंभ कार्यक्रम** –Stop Diarrhoea Campaign 2024 शुभारंभ कार्यक्रम पर जिला/ब्लॉक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. **स्वच्छता अभियान**– शहर के सभी हिस्सों में विशेष रूप से कचरा संवेदनशील क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाना।
3. **निरंतर कार्यवाही**– तैयारी चरण में सूचीबद्ध सभी बिंदुओं पर कार्यवाही जारी रखना।
4. **प्रशिक्षण**– जल प्रबंधन, स्वच्छता और सफाई पर स्थानीय समुदायों, संगठनों और सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।
5. **सफाई कर्मचारी**– सभी सफाई कर्मचारियों की जागरूकता, देखभाल और सुविधाओं के लिए विशेष कदम उठाना।
6. **स्वच्छता और सफाई के प्रति जागरूकता** – स्वच्छता और सफाई के संदेशों को मजबूत करने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक समूहों और निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ भागीदारी सुनिश्चित करना।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

1. **शुभारंभ कार्यक्रम** –Stop Diarrhoea Campaign 2024 शुभारंभ कार्यक्रम पर जिला/ब्लॉक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. ग्राम संगठन/स्व सहायता समूह की बैठकों में चर्चा आयोजित करें ताकि जागरूकता पैदा की जा सके जैसेः–
   - आसपास को साफ रखने का महत्व
   - शौचालय का उपयोग
   - हाथ धोना
   - वृक्षारोपण
   - सुरक्षित पेयजल का उपयोग

स्कूल शिक्षा विभाग

1. **शुभारंभ कार्यक्रम** –Stop Diarrhoea Campaign 2024 शुभारंभ कार्यक्रम पर जिला/ब्लॉक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. स्कूलों में स्वच्छ और क्रियाशील शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. ओवरहेड वाटर टैंक की सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करना।

तृतीय चरण
सप्ताह 3 से सप्ताह 6 (15 जुलाई – 16 अगस्त 2024)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1. ग्राम स्तर पर आरोग्य संवाद के माध्यम से डायरिया प्रबंधन के विषयों पर चर्चा का आयोजन।
2. प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में हाथ धोने की विधि एवं ओआरएस घोल तैयार करने के लिए कम से कम दो सत्रो का आयोजन।
3. आस्था आधारित संगठनों के माध्यम से धार्मिक समारोहों और उत्सवों के दौरान डायरिया की रोकथाम के संदेशों को शामिल करने के लिए संगठित करना।
4. सुरक्षित पेयजल और स्वच्छ शौचालयों के संदर्भ में स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ–सफाई का ध्यान रखना।
5. मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नवजात और बाल्यावस्था बीमारी के एकीकृत प्रबंधन (आईएमएनसीआई) दिशा–निर्देशों के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ), स्टाफ नर्स और एएनएम के लिए केस प्रबंधन परिदृश्यों का अभ्यास करने के लिए रोल–प्ले अभ्यास और सिमुलेशन आयोजित करना।
6. टीकाकरण के लिए छूटे हुए बच्चों की सूची बना कर टीकाकरण सुनिश्चित करना।
7. आयुष्मान आरोग्ञ मंदिरों, ओपीडी वार्डों, पोषण पुनर्वास केंद्रों में डायरिया के लक्षणों के संबंध में परिवारों को शिक्षित करना एवं नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र/मितानीन को तुरंत रिपोर्ट करने की आवश्यकता और निवारक उपायों के बारे में अवगत कराना।
8. हाथ धोने की उचित तकनीक, सुरक्षित जल भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं पर कार्यशालाओं का आयोजन करना।
9. पहुँच विहीन क्षेत्रों मे डायरिया निवारण सेवायें प्रदान करने के लिए विशेष टीमों का गठन करना।
10. गंभीर दस्त के लक्षणों या जटिलताओं वाले बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों और आस–पास की स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच रेफरल तंत्र सुनिश्चित करना।
11. जल–जनित बीमारियों को ध्यान में रखते हुए घरों में तथा कुएं/जल स्त्रोतों की साफ–सफाई एवं संक्रमण को रोकने हेतु क्लोरीन टेबलेट्स वितरित की जावे।
12. उच्च जोखिम वाले क्षेत्रो जैसे ईटा भट्ठा, खाना बदोश स्थल, बाढ़ प्रवण क्षेत्र, उप–स्वास्थ्य केन्द्र जहां ANM उपलब्ध नही है, प्रवासी मजदूर, सड़क पर रहने वाले बच्चों, मलीन बस्ती इत्यादि जगहों पर अधिक ध्यान देवें एवं ओ.आर.एस. की पूर्व उपलब्धता सुनिश्चित करें।
13. ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अभियान के मध्य में कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा करना।

महिला और बाल विकास विभाग

1. आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ बैठक का आयोजन कर डायरिया से संबंधित भ्रान्तियों को दूर करना।
2. घर पर ओआरएस तैयार करने हेतु संबंधितों को प्रशिक्षित करना।
3. आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) – और स्थानीय सामुदायिक संगठनों से समन्वय कर डायरिया के शुरुआती लक्ष्णों की पहचान हेतु भूमिका निभाने वाली गतिविधियों और नाटकों का आयोजन करना।
4. आंगनवाड़ी केंद्रों में दैनिक गतिविधियों में डायरिया प्रबंधन शिक्षा को सामिल करना, जैसे कि बच्चों के लिए कहानी सुनाने के सत्र और इंटरैक्टिव गेम आदि।
5. आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों में डायरिया के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली स्थापित करना ताकि ग्रसित बच्चे के उपचार से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सके।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

1. स्थानीय जल संसाधनों एवं स्वच्छता सुविधाओं के प्रबंधन के लिए Village Water and Sanitation Committee (VWSC) की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण करना, स्वच्छता मानकों को बनाए रखने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. जल स्वच्छता के महत्व एवं इसके प्रभाव पर जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाना।
3. ग्रामीण क्षेत्र में मल प्रबंधन हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का विस्तार करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में टेप नल की सुविधाये प्रदान किया जाना।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

1. **सामुदायिक भागीदारी**– स्थानीय जल संसाधन एवं स्वच्छता सुविधाओं के प्रबंधन के लिए वार्ड स्तर की समितियों, बल्क वेस्ट जेनरेटर (BWG) को सुदृढ़ करना एवं स्वच्छता मानकों को बनाए रखने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. **जन जागरूकता अभियान**– स्वच्छता, जल स्वच्छता के महत्व एवं इसके प्रभाव पर जन जागरूकता अभियान का आयोजन करना विशेष रूप से शहरी बस्तियों में।
3. **निरंतर कार्रवाई**– प्रारंभिक चरण में सूचीबद्ध सभी गतिविधियों के क्रियान्वयन को जारी रखना।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

1. साबुन और पानी से हाथ धोने के सही तरीके पर प्रदर्शन का आयोजन करना।
2. बच्चों के लिए डायरिया–अनुकूल आहार बनाने हेतु स्व–सहायता समूहों और मितानिन के सहयोग से प्रशिक्षण सत्रो का आयोजन करना।
3. बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान डायरिया के प्रबंधन हेतु मितानिनों के सहयोग से आपातकालीन योजना तैयार करना।

स्कूल शिक्षा

1. डायरिया प्रबंधन हेतु स्कूल स्तर पर हाथ धोने, वृक्षारोपण, पानी बचाओ, स्वच्छ पेयजल आदि विषयों पर पोस्टर–मेकिंग / निबंध / प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करना।
2. स्कूल स्तर पर वृक्षारोपण अभियान (हरित पृथ्वी – स्वस्थ जीवन) का आयोजन करना।
3. डायरिया की रोकथाम और प्रबंधन तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में हेल्थ एवं वेल्नेस एमबेस्डर एवं पियर एजुकेटर का चयन कर उनको प्रशिक्षित करना।
4. स्कूल में सुबह की सभा के दौरान स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आमंत्रित कर डायरिया प्रबंधन, हाथ धोने की विधि जैसे विषयों पर चर्चा का आयोजन।
5. अभिभावक–शिक्षक मासिक बैठक (पीटीएम) के दौरान स्वस्थ आहार और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाल स्वास्थ्य संवाद का आयोजन करें जिसमें पीने का पानी, शौचालय का उपयोग, हाथ धोना आदि बातें शामिल हों।
6. स्कूल के प्रांगण में हाथ धोने और स्वच्छता पर प्रकाश ड़ालने वाले पोस्टर प्रदर्शित करें।
7. स्कूलों में उचित हाथ धोने की तकनीक का प्रदर्शन करने और स्कूली बच्चों को स्वच्छता संबंधी व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रोल–प्लेइंग गतिविधियाँ और नाटक आयोजित करें।
8. स्कूल–व्यापी 'स्वच्छता नायक' कार्यक्रम शुरू करें, जहाँ छात्र अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को बनाए रखने की शपथ लें।

चतुर्थ चरण

सप्ताह 7 और 8 (17 अगस्त – 31 अगस्त 2024)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

1. उचित हाथ धोने की विधि, स्वच्छ जल के भंडारण एवं स्वच्छता से संबंधित विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन।
2. पहुँच विहिन क्षेत्रों में डायरिया के उपचार एवं प्रबंधन हेतु विशेष टीमों का गठन।
3. डायरिया से पीड़ित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लाइन लिस्टिंग और अनुवर्ती कार्यवाही।
6. डायरिया प्रबंधन के प्रति चल रहे प्रयासो पर केसस्टडी तैयार करना।
7. पीएनसी वॉर्ड में मैनुअल या इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप का उपयोग करके स्तन से दूध निकालने की तकनीक का प्रदर्शन करें।

महिला और बाल विकास

1. डायरिया के प्रकरणों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से अनुवर्ती देखभाल और निगरानी के लिए गृह भ्रमण कराया जाना सुनिश्चित करे।
2. स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पौष्टिक आहार महत्वता समझाते हुए भोजन बनाने की विधि समझाया जाना सुनिश्चित करें।
3. स्तनपान कराने वाली माताओं को संतुलित आहार और पर्याप्त कैलोरी युक्त भोजन के महत्व पर मार्गदर्शन प्रदान करें ।
4. स्व–सहायता समूह की बैठक आयोजित करें जहाँ माताएँ स्तनपान से संबंधित सफलताओं और चुनौतियों को साझा कर सकती हैं।
5. छः महीने के बाद स्तनपान जारी रखने के साथ–साथ पूरक आहार को शुरू करने के बारे में जानकारी प्रदान करें।

पेयजल और स्वच्छता विभाग

1. स्थानीय समुदायों/गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से स्वच्छ जल स्रोतों को बनाए रखने और स्वच्छता एवं सफाई के लिए जागरुक करना।
2. Rain Water Harvesting को बढ़ावा देना जैसे कि–छत पर Rain Water Harvesting और जल भंडारण टैंक।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिये आवश्यकता का आकलन करें ताकि लीक हो रहे पाइपों की पहचान कर मरम्मत किया जा सके।
4. पंचायत सदस्यों के साथ गाँव में सैर की सुविधा प्रदान करें, ताकि खुले में शौच से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और समुदायों को घरेलू शौचालय बनाने और उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

1. **<u>Community Engagment और शिक्षा</u>**– स्थानीय समुदायों/गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से स्वच्छ जल स्रोतों को बनाए रखने और विशेष रूप से शहरी मलिन बस्तियों को स्वच्छता एवं सफाई के लिए जागरुक करना।
2. **<u>Rain Water Harvesting</u>** – Rain Water Harvesting को बढ़ावा देना जैसे कि– छत पर Rain Water Harvesting और जल भंडारण टैंक।
3. **<u>मानसून के बाद रखरखाव की योजना बनाना</u>**– मानसून के बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के रखरखाव एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक योजना बनाना।
4. **<u>Integration</u>**– स्वच्छ भारत मिशन के Social Behaviour Change अभियान के साथ एकीकृत करना ताकि स्वच्छता के लिए शौचालयों का उपयोग, स्वच्छ परिवेश के लिए अपशिष्ट पृथक्करण और कूड़ा–कचरा न फैलाना, स्वयं की स्वच्छता के लिए हाथ धोना आदि सुनिश्चित किया जा सके।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

1. पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए समुदाय आधारित आयोजनों के माध्यम से स्वच्छता बनाए रखने और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए समुदाय को प्रोत्साहित करना।
2. स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और बागवानी विभाग के सहयोग से ग्राम स्तर पर (हरित पृथ्वी – स्वस्थ जीवन) वृक्षारोपण अभियान चलाना।
3. संबंधित विभागों द्वारा घरेलू शौचालय, हाथ धोने के जगह और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के निर्माण और रखरखाव के लिए समुदाय द्वारा संचालित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सदस्यों को एकत्रित करना।

स्कूल शिक्षा विभाग

1. सहकर्मी से सहकर्मी सीखने (peer- to-peer learning) के सत्रों की सुविधा प्रदान करें, जहाँ बड़े छात्र छोटे साथियों को उचित हाथ धोने की तकनीक और स्वच्छता प्रथाओं के बारे में सलाह देते हैं।
2. स्वास्थ्य जांच के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM)– स्वास्थ्य केंद्रों का भ्रमण करना।
3. पोषण और स्वच्छ खाने की आदतों पर कार्यशालाएँ आयोजित करें, जिसमें दस्त की बीमारियों को रोकने में उचित पोषण की भूमिका पर जोर दिया जाए।
4. स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों के लिए पुरस्कार समारोह– सर्वश्रेष्ठ पोस्टर, सर्वश्रेष्ठ नारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि का आयोजन करें।